

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

ज्यालात उपखण्ड अधिकारी सेडवा व मुकाम सेडवा

ओमप्रकाश कोरा बनाम आदू कोरा

किस्म मुकदमा राजस्व आंदोलन मुकदमा नम्बर 350 /2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04/12/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>करताराम बहवराम</u> यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>251 ए R.A Act</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / ररपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/12/24</u> को पेश हो।</p>	
20/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निम्न कार्यों में व्यस्त है, भिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>14/01/25</u> को पेश हो।</p>	
07/01/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरो वकील शर्मा ने शर्चना पत्र वाले पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पत्रा कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील शर्मा के शर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील शर्मा ने शर्चना पत्र बाबत आवेदन करवा लखान की माँत्रा जांच रिपोर्ट भेगवाने का निवेदन किया जिसे न्यायस्थित में स्वीकार किया तदुक्त सेडवा के शरने संबन्धी</p>	

मौका रिपोर्ट हेतु पीठा
रिपोर्ट के अंतर्गत में आदेश दिनांक 14/01/25
पेठा हो।

14/01/25 पत्रावली पेठा हुई। पार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट के अंतर्गत में
आदेश दिनांक 30/01/2025 को पेठा हो।

30/01/25 पत्रावली पेठा हुई। पीठाधीन अधिकारी दिनांक
कार्यों में व्यस्त है, मिराल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिका अनुसार आदेश दिनांक 05/02/25
को पेठा हो।

05/02/25 पत्रावली पेठा हुई। वकील पार्थी उप. विजयगिरी के सम्मन
Registered लागू हुए प्राप्त जिले शाहिल पत्रावली किया
जा रहा है। नहीलाए लेखा से शब्द खंडी मौका रिपोर्ट
आए हुए जिले शाहिल पत्रावली किया जा रहा है। पत्रावली
वास्ते विजयगिरी के जवाब एवं मौका रिपोर्ट पर बहस
हुए पत्रावली आदेश दिनांक 25/02/25 को पेठा हो।

25/02/25 पत्रावली पेठा हुई। पार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस
हेतु पत्रावली आदेश दिनांक 15/04/25 को
पेठा हो।

15/04/25 पत्रावली पेठा हुई। पार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली
वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु आदेश
दिनांक 25/06/25 को पेठा हो।

न - श्रीमच्छा और बतम अद्य वौरा

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकॉम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशकानुसार
जाइन्दा दिनांक 19/08/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। विपार्थीगण की
ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध
एक्तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वकील
पार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील
पार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मतल किया
गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का
अध्ययन, अवनीकन किया गया, जिसे पतीत होता
है कि पार्थीगण का पार्थता पर स्वीकार योग्य है।
अतः शस्त्रों से संबंधित निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली
कैसल नुमार हीकर दायिन् दफ्तर हो। संख्या से
एक कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी -श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन- 350/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none">1. ओमप्रकाश पुत्र लाखाराम2. अणसीदेवी पत्नी लाखाराम3. ठाकराराम पुत्र लाखाराम4. धमेन्द्र पुत्र लाखाराम5. पोकसाराम पुत्र लाखाराम6. मगाराम पुत्र लाखाराम7. मांगाराम पुत्र लाखाराम8. रामाराम पुत्र लाखाराम जातियान जाट, निवासीगण जाटो का बेरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	<ol style="list-style-type: none">01. आदु पुत्र चुतरा02. ईशाराराम पुत्र बांका03. काना पुत्र चुतरा04. खेराज पुत्र चुतरा05. ठाकराराम पुत्र बस्ताराम06. देवी पत्नी बांकाराम07. देवाराम पुत्र बस्ताराम08. पुनमा पुत्र बांकाराम09. पेम्पोदेवी पत्नी खेराजराम10. प्रभु पुत्र बांकाराम11. भेराराम पुत्र बस्ताराम12. भेराराम पुत्र बांकाराम13. भीखोदवी पुत्री बस्ताराम14. मेघा पुत्र चुतरा15. माना पुत्र पीरा16. रामुदेवी पत्नी गंगाराम17. लक्ष्मीदेवी पत्नी बस्ताराम18. सुखराम पुत्र पीरा,19. हनुमान पुत्र बांकाराम20. हनुमान पुत्र हरखाराम जातियान-जाट, निवासीगण-जोटो का बेरा, तहसील-सेड़वा, जिला-बाड़मेर।21. शाखा प्रबंधक दी सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि. शाखा सेड़वा।22. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेड़वा।23. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :- श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक :- 19/08/2025

प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र लाखाराम जाति-जाट, निवासी-जाटों का बेरा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम-जाटो का बेरा पटवार हल्का-सारला, उपखण्ड क्षेत्र- सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 787/420 रकबा 1.5459 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण की वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने-जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी में आने-जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत ग्राम-जाटों का बेरा, पटवार हल्का-सारला के खसरा नम्बर 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। हमारे खेत में आने के लिए खसरा नम्बर 964/786, 807/420 भूमि रास्ते हेतु समर्पण किया हुआ है, आगे हमारे खेत तक आने के लिए खसरा नम्बर 713/419 में से उक्त रास्ता आने-जाने के लिए आवागमन की

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

①



उक्त सु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काशत के खेत में काशत करने व रहवासीय ढाणी में आने-जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता सारला से जाटों का बेरा जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है, जिससे मांगा गया रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने आप की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने-जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 20 फिट चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे संलग्न नक्शे में चिन्हित स्थान पर ही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता हैं, जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने-जाने, खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने-जाने, काशत के साधन, उपकरण लाने-ले जाने, राशन सामग्री लाने-ले जाने इत्यादि कई कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है, जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण रास्ता की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के समन्न तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद उनकी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा क्रमांक रीडर/2025/07 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भूअ./2025/218 दिनांक 29.01.2025 द्वारा प्रकरण में न्यायालय को मौका रिपोर्ट मय खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भूअ./2025/218 दिनांक 29.01.2025 द्वारा प्राप्त मौका जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है-ग्राम

जाटों का बेरा के खसरा संख्या 787/420 रकबा 1.5459 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल के खातेदार श्री



सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

2

किसका पुत्र लाखाराम वगैरा को सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर में से होकर रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	ग्राम की डीएलसी दर	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	डीएलसी दर से दुगुनी कीमत	बरंग	वि. वि.
01	आदू वगैरा	जाटों का बेरा	713/419	2.9380 हैक्टेयर	बारानी अब्बल	240 गट्टा 0.0971 हैक्टेयर	190000 प्रति हैक्टेयर सिंचित सड़क पर	18449	36898	हरा	

ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर के उत्तरी सेढे पर कई वर्षों से आवागमन चालू होने के निशान यथा चार पहिया वाहनों के टायरों के निशान बने हुए हैं। वर्तमान में सड़क के पास स्थानीय कंटिली झाड़ियों से बाड़ बनाकर चार पहिया वाहनों का आवागमन बंद किया हुआ है, पैदल आवागमन चालू है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान, कीमती पेड़ नहीं है, एक खेजड़ी का पेड़ प्रस्तावित रास्ते के सेढे पर है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ग्राम जाटों का बेरा की प्रचलित डीएलसी दर 190000 रूपये प्रति हैक्टेयर (सिंचित सड़क के पर) है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस सूचित किया गया लेकिन विप्रार्थी सुखराम पुत्र पीराराम एवं विप्रार्थी रामूदेवी के पति गंगाराम के अलावा कोई विप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। फर्द मौका पढकर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं मोतबरान ने हस्ताक्षर किए। मौके पर उपस्थित विप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर से इन्कार किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण



सहायक कमिश्नर
(300) अखंड

3

। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है-

कं. स.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	ग्राम की डीएलसी दर	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	डीएलसी दर से दुगुनी कीमत	बरंग	वि. वि.
01	आदू वगैरा	जाटों का बेरा	713/419	2.9380 हैक्टेयर	बारानी अब्बल	240 गट्टा 0.0971 हैक्टेयर	190000 प्रति हैक्टेयर सिंचित सड़क पर	18449	36898	हरा	

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम

70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)-(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 मय फर्द दिनांक 16.01.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग हरा से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 03 गट्टा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुणा राजकोष में अदा करेंगे। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-



सहायक सिलवर
(S.D.O.) उदुपरा

4

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तों में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तों में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तों में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यक्षीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 19/08/25 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।



पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्‍नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
(350) अधिकारी सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 218

दिनांक:- 29-01-25

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशय:- राजस्व आवेदन सं 350/2024 अनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम आदु वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 350/2024 अनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम आदु वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम जाटों का बेरा के खसरा 787/420 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 713/419 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 16.01.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

